सहायक कलक्टर (SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 59/2014 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
चुनीदेवी पत्नी हिमथाराम जाति जाट, निवासी कानासर तहसील शिव, जिला बाडमेर		1. दलाराम पुत्र धनाराम 2. भीखीदेवी पत्नी दलाराम जाति जाट, निवासी कानासर तहसील व जिला बाडमेर 3. शाखा प्रबंधक, बी.एल.डी.बी. शाखा बाडमेर 4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 – श्री चेतनराम सारण।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 04.08.2023

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौके पर वादीनी का कब्जा काश्त नहीं होने से वाद को अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त वाद में वादीनी वादग्रस्त आराजी की रेकर्डेड खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार का खातेदारी भूमि में हक हिस्सा निहित होने से भूमि का विभाजन किया जाना उचित होने से उक्त स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल कानासर के ग्राम कानासर के खेत खसरा नम्बर 424 रकबा 8.4255 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	चुनीदेवी पत्नी हिमथाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	कानासर	424	2.1063	बा.अ.	–	गुलाबी
2	दलाराम पुत्र धनाराम 15/32, भीखोदेवी पत्नी दलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन बीएलडीबी शाखा बाड़मेर	कानासर	424	6.3192	बा.अ.	–	

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner